न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.),जबलपुर
म0प्र0

विशेष सत्र प्र0 कं0 234/2019
IA No. 439/7/2024
Filling Date- 28-03-2024

विक्रांत ठाकुर पिता कैलाश ठाकुर,
निवासी पटेल मोहल्ला, पानी की
टंकी के पास, बादशाह हलवाई
मंदिर चौक थाना ग्वारीघाट,जबलपुर

—आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा आरक्षी केन्द ग्वारीघाट,
जिला जबलपुर (म.प्र.)

अनावेदक

अंतरिम तिथिः—02—04—2024

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कृष्णा प्रजापति उपस्थित।

अभियुक्त विक्रांत ठाकुर, न्यायिक अभिरक्षा में द्वारा श्री अक्षत शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थी को प्रेषित सूचनापत्र के पालन में प्रार्थी नरेन्द्र अहिरवार ने उपस्थित होकर जमानत आवेदन पत्र पर आपत्ति व्यक्त की।

अभियुक्त विक्रांत ठाकुर की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियुक्त विक्रांत ठाकुर की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह निवेदन किया गया है कि आवेदक का यह **द्वितीय** नियमित जमानत आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन अथवा निराकृत

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-1

नहीं हुआ है। अभियुक्त को दिनांक 13–12–2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई थी। अभियुक्त दिनांक 18–09–2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, प्रकरण के निराकरण में विलंब की सम्भावना है। अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

आवेदन पत्र के समर्थन में सौरभ खन्ना का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने उक्त आवेदन पत्र पर आपत्ति व्यक्त की।

प्रकरण के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त इक्कू उर्फ विक्रांत ठाकुर का सहअभियुक्तगण उल्ला उर्फ आकाश कोरी,कृष्णा यादव, सुल्तान बेन एवं छोटू अनुराग के साथ धारा 148 सहपठित धारा 3(2)(5)(क)अजाजजा अधिनियम, धारा 294 सहपठित 149 भा.दं.वि., धारा 307 सहपठि 149 भा.दं.वि., धारा 3(2)(5) सहपठित 149 भा.दं. वि.,506बी सहपठित 3(2)(5)(क)अजाजजा अधिनियम, धारा 3(1)(द)(ध) सहपठित 149 अजाजजा अधिनियम के आरोप विरचित कर विचारण किया जा रहा था। प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य की स्टेज पर दिनांक 04–10–2021 को अभियुक्त के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध जमानती वारण्ट एवं अनुपस्थित रहने पर दिनांक 25–03–2022 को उसके जमानत व मुचलके निरस्त कर अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट का आदेश दिया गया था। तदोपरान्त दिनांक 07–02–2023 को अभियुक्त इक्कू उर्फ विक्रांत को फरार घोषित करते हुये उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट का आदेश दिया गया। तत्पश्चात उक्त स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में अभियुक्त इक्कू उर्फ विक्रांत को गिरफ्तार कर दिनांक 18–09–2023 को न्यायालय सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-1

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में विवेचक साक्षी निरीक्षक प्रीति तिवारी व आहत नरेन्द्र अहिरवार की साक्ष्य होना शेष है, जिससे प्रकरण के निराकरण में विलम्ब की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त को पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 9897/2019 में पारित आदेश 13–12–2019 के द्वारा जमानत का लाभ दिया गया था। अभियुक्त दिनांक 18–09–2023 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया है। आवेदक/अभियुक्त जिला जबलपुर का स्थाई निवासी है, उसके फरार होने की सम्भावना नहीं है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर स्वतंत्र किया जाना उचित प्रतीत होता है। उसके पूर्व मुचलका में से 1000/–रूपये की राशि राजसात की जाती है एवं शेष राशि माफ की जाती है।

फलतः अभियुक्त विक्रांत ठाकुर की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि अभियुक्त की ओर से राजसात मुचलके की राशि 1000/–रूपये जमा किये जाने एवं 40,000/–रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र धारा 437(3)दं0प्र0सं0 की शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जावे तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रकरण पूर्ववत् अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 08–04–2024 को पेश हो।

GIREESH DIKSHIT

Digitally signed by GIREESH DIKSHIT
Date: 2024.04.02 18:13:34 +0530

(गिरीश दीक्षित)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी)
जबलपुर (म.प्र.)

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-1